

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 271

प्रकरण क्रमांक -SM-URP-2024-02406

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री सुमीत कुमार डागा, पिता-श्री सुनील कुमार डागा, पता-ई-ब्लॉक-601, पॉल्स रेसीडेन्सी, मेन रोड, कटोरा तालाब, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
09/06/2025	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-MA No. 28 of 2025 में दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कंडिका-23 में उल्लेख किया गया है कि Consequently, this miscellaneous appeal is allowed and the impugned order dated 23-12-2024 (Annexure A-1) passed by Tribuna Raipur is set aside. Resultantly, suo moto Case No. SM-URP-2024-02406 registered against the appellant is also quashed. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-SM-URP-2024-02406 को खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.09.2024 को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के एनवेन्ट्री की खरीदी-बिक्री पर रोक लगायी गई थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त संबंध में जिला-पंजीयक/उप-पंजीयक, जिला-रायपुर एवं कलेक्टर, जिला-रायपुर को पृथक से पत्र प्रेषित करे।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	